अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 17/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 138 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख
(1)	(2)
1.	28/2010- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून, 2010 [सा.का.नि. 549(अ), तारीख 22 जून, 2010]
2.	29/2010- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून, 2010 [सा.का.नि. 550(अ), तारीख 22 जून, 2010]

(फा.सं.334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार